छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-14

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 4, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मानीनीय अध्यक्ष ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि दी गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.03 बजे स्थगित की जाकर 11.07 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित एवं 72 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,तथा

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022,

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पंडरिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नागडबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मृत्यु होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री विक्रम मण्डावी, देवेन्द्र यादव, लालजीत सिंह राठिया, इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, द्वारा भी विचार व्यक्त किये गये।

माननीय सदस्य श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा माननीय सदस्य के विरूद्ध आरोपात्मक टिप्पणी करने पर ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुन: इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया ।

6.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सभा में कभी भी व्यक्तिगत आरोप या आक्षेपात्मक कथन के पूर्व

आरोप लगाने की एक विधिवत प्रक्रिया है, उसका पालन करें। आक्षेप लगाने के लिए निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अतः मैं माननीय सदस्या श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा प्रयुक्त इस कथन को विलोपित करता हूं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल अपने कथन पर खेद व्यक्त करें, मैं यह उनके विवेक पर छोड़ता हूं ।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के विशेषाधिकार भंग की सूचना पर कथन किया कि वे इसमें बाद में व्यवस्था देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट की ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य द्वारा कथन वापस लिया गया।

7.स्थगन प्रस्ताव

पंडरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागडबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगो की संदिग्ध मृत्यु होना

माननीय अध्यक्ष द्वारा पंडरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागडबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगो की संदिग्ध मृत्यु होने के संबंध में 30 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए एवं पोस्टर लहराये गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

8. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, बघेल लखेश्वर, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.58 बजे स्थगित की जाकर 1.14 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी के मध्य सभापति महोदय द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से निलंबित होने के कारण सभा से बाहर चले जाने का अनुरोध किया गया ।

9.सदन को सूचना

प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाईट, ऐप एवं कम्प्यूटर/ लैपटॉप परिचालन को समझ एवं जान सकें, इस दृष्टि से कल शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2024 को समिति कक्ष क्रमांक- 1 में दोपहर 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक चिप्स एवं NIC के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है । इच्छुक माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर, लाभान्वित होवें।

परीक्षण शिविर

(2) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधानसभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 26 फरवरी, 2024 को एस.एम.सी.हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.रिसर्च सेन्टर रायपुर द्वारा कार्डियेक कैम्प एवं दिनांक 27 फरवरी, 2024 को श्री गणेश

विनायक आई हॉस्पिटल एवं पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर द्वारा नेत्र/ आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया, माननीय सदस्य प्रात: 11.00 से सायं 5.00 के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य ने प्रदेश के स्कलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

11. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि -आज की कार्य-सूची में 31 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

13. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नहीं)

मानानीय सभापति ने घोषणा की कि कार्यसूची के पद 4 के उप पद (3) से (31) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

03. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक
04. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा
05. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोतीलाल साहू
06. श्री बघेल लखेश्वर
07. श्री राजेश मूणत
08. श्री इन्द्र साव
09. श्री इन्द्रकुमार साहू
10. श्री इन्द्रकुमार साहू
11. श्री ईश्वर साहू
12. श्री कुंवर सिंह निषाद
13. श्री पुरन्दर मिश्रा
14. श्री पुरन्दर मिश्रा
15. श्री बघेल लखेश्वर
17. श्री पुन्नूलाल मोहले
18. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
19. श्री सुशांत शुक्ला
20. श्री द्वारिकाधीश यादव
21. श्री भईयालाल राजवाड़े
22. श्री ईश्वर साहू
23. श्री ईश्वर साहू
24. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
25. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती चातुरी नंद
26. श्री आशाराम नेताम
27. श्री आशाराम नेताम
28. डॉ.चरणदास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप
29. श्री राजेश मूणत
30. श्री राजेश मूणत
31. श्री राजेश मूणत

14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

मानननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दिलीप लहरिया

(2) श्री बघेल लखेश्वर

(3) श्री देवेन्द्र सिंह यादव

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोतीलाल साहू

(2) श्रीमती संगीता सिन्हा

16. प्रस्ताव

" छत्तीसगढ़ राज्य जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के वनवास काल में वन गमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राम मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा किये जाने पर कृतज्ञ है।"

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-
" छत्तीसगढ़ राज्य जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के वनवास काल में वन गमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राम मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा किये जाने पर कृतज्ञ है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-6**, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-21,** योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-31,** प्रस्तुत की ।

(कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित रहे।)

तद्नुसार मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती भावना बोहरा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रेमचंद पटेल, अनुज शर्मा, अजय चन्द्राकर, पुन्नूलाल मोहले, रिकेश सेन,

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वन से संबंधित **मांग संख्या-10**, सहकारिता से संबंधित **मांग संख्या-17**, जल संसाधन विभाग से संबंधित **मांग संख्या-23**, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग **संख्या-45**, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित **मांग संख्या-57**, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित **मांग संख्या-75**, प्रस्तुत की ।

(कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित रहे।)

तद्नुसार मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री सुशांत शुक्ला, अजय चन्द्राकर, सम्पत अग्रवाल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, अनुज शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह,

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के अनुसार अशासकीय कार्य भी संपादित किया जाना है । अत: कार्यसूची के पद क्रमांक 7 के उपपद 3 का कार्य आगामी कार्य दिवस में लिया जायेगा। अब मैं अशासकीय संकल्प लूंगा ।

19.अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि " प्रदेश के किसानों के हित के लिये "मण्डी शुल्क" 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पूर्ववत तथा अतिरिक्त "कृषक कल्याण शुल्क" को समाप्त किया जाये।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा उक्त संकल्प को संशोधित रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया कि सदन का यह मत है कि **"प्रदेश के किसानों के हित के लिए मंडी शुल्क 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की जगह इसे 1.5 प्रतिशत मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क .5 प्रतिशत किया जाए"** इस रूप में संकल्प को स्वीकार किया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने सहमति व्यक्त की ।

यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि " जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाये।"

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री मोतीलाल साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य ने स्थिति स्पष्ट की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इस संशोधित स्वरूप में संकल्प स्वीकृत करने का आग्रह किया कि सदन का यह मत है कि **"जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाए इस हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए"** । इस स्वरूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने इस पर सहमति व्यक्त की ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की ।

यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि " मुंगेली विधान सभा के अनुसूचित जनजातियों बाहुल्य ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जायें।"

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा यह कथन किया कि "**प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी जहां अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, जहां पर 25 प्रतिशत से ऊपर जिस गांव में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, उन गांवों, ब्लाकों को भी प्राधिकरण क्षेत्रों में शामिल करेंगे।**" इस संशोधन के साथ संकल्प को स्वीकृत किया जाय ।

श्री पुन्नूलाल मोहले ने इस पर सहमति व्यक्त की ।

यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-7, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा